

122

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2285-एक/2001 - विरुद्ध आदेश दिनांक 28-6-2001 - पारित क्षारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 687/1995-96 अपील

कैलाश प्रसाद पुत्र बलजोर सिंह
ग्राम गेरुआ तहसील सिंहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ।

—आवेदक

विरुद्ध

शैलेष कुमार पुत्र आशुतोष कुमार मिश्र
मुख्याराम आशुतोष कुमार पुत्र स्व.शिवशंकर मिश्र
ग्राम गेरुआ तहसील सिंहावल जिला सीधी

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 10-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 687/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-2001 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 23-11-2001 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोँश यह है कि तहसीलदार सिंहावल के प्र.क. 10 अ/6-अ/1994-95 में वर्णित ग्राम करकोटा की आराजी 5-00 एकड (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) अनावेदकगण के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज है। आवेदक ने तहसीलदार सिंहावल के समक्ष आवेदन देकर पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसीलदार सिंहावल ने

प्रकरण क्रमांक 11 अ-74/1994-95 पैंजीबद्ध किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 23-3-1995 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल ने प्रकरण क्रमांक 78/93-94 में पारित आदेश दिनांक 19-6-1996 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दो अपील क्रमशः क्रमांक 674 एवं 687/1995-96 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 28-6-2001 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल का आदेश दिनांक 19-6-1996 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 28-6-2001 के विरुद्ध यह निगरानी दिनांक 23-11-2001 को प्रस्तुत करते हुये अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया गया है, जिसके क्रम में उभय पक्ष को सुना गया है क्योंकि :-

3. लॅगरी बनाम छोटा 1992 रानि 289 में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि जब कोई अपील समयवर्जित हो तब अपील न्यायालय उसे सुनने के लिये सक्षम नहीं है।
4. रामभुवन विरुद्ध रामविशाल 2002 रानि 254 में बताया गया है कि समय बर्जित अपील में परिसीमा का प्रश्न पहले ही सकारण आदेश व्यारा विनिश्चित किया जाना चाहिये, तदुपरांत मामला गुण-दोष परखा जा सकेगा।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत किये गये अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार स्थिति यह है कि अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का कारण निम्नानुसार बताया गया है :-

“ निवेदन है कि आवेदक की ओर से उनमानी निगरानी आज ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें निवेदित तथ्यों के आलोक में आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिस कारण उसे ऐसे

आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, व सर्वप्रथम दिनांक 11-11-2001 को उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा भूमियों पर बलात आधिपत्य करने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश होने की जानकारी व धमकी दी गई, तब आवेदक उसी दिन रीवा जाकर प्रकरण का पता लंगाया। ”

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 687/1995-96 अपील की कतिपय आर्डरशीट इस प्रकार है :-

दिनांक 13-6-97 - अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित.

2-रिकार्ड अप्राप्त ! तलब हो।

3- रिस्पाओन्डरों। वाद में उपस्थित।

4-पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। पेशी 27-9-97

पेशी 27-9-97 के वाद आगामी तिथि 6-2-98, 13-4-98, 5-10-98, 14-12-98, 18-1-99, 24-2-99, 21-4-99, 18-6-99, 29-10-99, 9-12-99, 20-1-2000, 23-3-2000, 28-4-2000, 12-5-2000, 24-5-2000, 28-6-2000, 17-7-2000, 28-8-2000, 23-12-2000, 6-1-01, 23-2-01, 24-2-01, 5-3-01 कुल 24 दोनों पक्षों पर आवेदक के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं एवं आवेदक की पैरबी की पेशियों पर आवेदक के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं एवं आवेदक की पैरबी की पेशियों पर आवेदक के अभिभाषक उपस्थित हुये हैं। जिनका वकालातनाम अपर आयुक्त के प्रकरण में पृष्ठ 7 पर संलग्न है। पेशी 28-3-2001 को आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषक उपस्थित हुये हैं एवं दोनों पक्षों के अंतिम तर्क सुनकर अपर आयुक्त ने प्रकरण आदेश हेतु अदेश प्राप्ति नहीं हुआ एवं दिनांक 11-6-2001 को आदेश पारित किया गया आदेश प्राप्ति नहीं हुआ एवं दिनांक 2-5-2001 को आवेदक के अभिभाषक ने अंतिम तर्क किये हैं। जब पेशी 28-3-2001 को आवेदक के अभिभाषक ने अंतिम तर्क किये हैं एवं उन्हें आदेश की आगामी तिथि 2-5-2001 टीप कराई गई है। आवेदक के अभिभाषक को तदनुसार जानकारी होना यही माना जावेगा कि यह जानकारी आवेदक को है। आदेश की तिथि 2-5-2001 को अथवा उसके बाद आवेदक ने अनके अभिभाषक ने न्यायालय में आकर आदेश की जानकारी लेना अथवा उनके अभिभाषक ने समझा, जबकि उनका दायित्व था कि वह समय रहते आदेश मुनासिव नहीं समझा, जबकि उनका दायित्व था कि वह समय रहते आदेश की जानकारी लेकर स्वयं के पक्ष में कार्यवाही करते, जबकि अवधि विधान की

धारा -5 के आवेदन में यह तथ्य बताना कि * आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिस कारण उसे ऐसे आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, व सर्वप्रथम दिनांक 11-11-2001 को उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा भूमियों पर बलात आधिपत्य करने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश होने की जानकारी व धमकी दी गई, तब आवेदक उसी दिन रीवा जाकर प्रकरण का पता लगाया। * आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिया गया विवरण उक्त कारणों से विश्वास योग्य नहीं है। आवेदक स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है जिसके कारण आदेश दिनांक 28-6-2001 के विरुद्ध राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर में दिनांक 23-11-2001 को प्रस्तुत निगरानी समयवाहय है।

1. पी.के.रामचन्द्रन बनाम स्टेट आफ केरल A.I.R. 1998 सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण व आधार वर्णित किये गये उनको देखने से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।
2. स्टेट आफ एम०पी० विरुद्ध फकीर चंद 1980 (2) म०प्र०वीकली नोट 199 म०प्र० में बताया गया है कि विलम्ब क्षमा करने की मांग परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई। विलम्ब क्षमा किए जाने के सम्बन्ध में समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।
3. स्टेट आफ एम०पी० विरुद्ध सवजीराम 1995 (2) म०प्र०वी०नोट 193 में बताया गया है कि अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्ष को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से निगरानी विलम्ब से है जिसके कारण मामले में गुणदोष सुनवाई करना मुनासिब नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समय-वाहय होने से निररत की जाती है। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र०क० 687/1995-96 अपील में पारित आदेश दि. 28-6-2001 यथावत् रहता है।


(एस०एस०आली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर